न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 78/2017 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2017/00231

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. वैदप्रकाश जाति ठकराल निवासी गंगानगर तहसील व जिला बीकानेर (मृत्तक)
1/1 शमा पत्नि राजेन्द्र कुमार
1/2 शायना पुत्री राजेन्द्र कुमार
1/3 आशिना पुत्री राजेन्द्र कुमार

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र स्व. वैदप्रकाश जाति ठकराल, निवासी गली नंबर 8, प्रेमनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. अक्षम कुमार पुत्र अनिल कुमार जाति ठकराल, निवासी गली नंबर 8, प्रेमनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

–रेस्पोडेन्ट्स

3. शकुन्तला कुमारी पत्नी स्व. वैदप्रकाश जाति ठकराल, निवासी गली नंबर 8, प्रेमनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. पोनमा पत्नी अशोक ठकराल, वैदप्रकाश जाति ठकराल, निवासी गली नबंर 8, प्रेमनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. निधि ठकराल पुत्री स्व. अशोक ठकराल वैदप्रकाश जाति ठकराल, निवासी गली नंबर 8, प्रेमनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. राजरानी पत्नी स्व. दिनेश ठकराल,
7. सनी पुत्र स्व. दिनेश ठकराल,
8. वंदना पुत्री स्व. दिनेश ठकराल,
9. किरण पुत्री स्व. दिनेश ठकराल,
10. काजल पुत्री स्व. दिनेश ठकराल.
11. प्रेमलता पुत्री स्व. वैदप्रकाश ठकराल

निवासी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।

12. राजस्थान राज्य सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार श्रीगंगानगर।

–प्रफोर्मा रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सुरेश चन्द्र व्यास अभिभाषक अपीलांट्स
श्री ज्ञानसिंह अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 20.08.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 22.07.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 1 ए, छोटी के खाता संख्या 54/51 मुरब्बा नम्बर 77 के किला नंबर 6, 7, 10 की 2.18 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने वसीयत के आधार पर तहसीलदार श्रीगंगानगर में समक्ष इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार श्रीगंगानगर ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज का आदेश दिनांक 22.07.2016 प्रदान किया। अपीलांट्स ने तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 22.07.2016 के इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों को ही बहस बताते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने वसीयत के आधार पर तहसीलदार श्रीगंगानगर में समक्ष इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पक्षकारों के अधिकारों को लेकर दावा विचाराधीन है। दावें के निर्णय होने तक इंतकाल की कार्यवाही स्थगित रखी जाये इस तथ्य को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायानय ने निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पीठ पीछे आदेश पारित किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की थी एवं अपीलाट को आश्वस्त किया गया था कि जब भी न्यायालय में सुनवाई होगी तो आपको नोटिस दे दिया जाएगा लेकिन अपीलांट को नोटिस नहीं दिया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 22.07.2016 में अपीलांट को सुना ही नहीं गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.07.2016 निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया हैं:–

1. आर.आर.टी. 2003(1) पेज सं. 650 2. आर.आर.टी. 2023(2) पेज संख्या 1115

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि वेदप्रकाश ठकराल पुत्र श्री वीरूराम की स्वअर्जित खातेदारी कृषि भूमि थी। उक्त वादग्रस्त भूमि वेदप्रकाश पुत्र वीरूराम द्वारा जरिए बैयनामा खरीद की थी। वेदप्रकाश ठकराल द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि की अन्तिम पंजीकृत वसीयत दिनांक 06.05.2013 को अनिल कुमार एवं अक्षय कुमार पुत्र अनिल कुमार तथा राजेन्द्र कुमार के पक्ष में कर दी थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर ने वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया। जब तक सक्षम अदालत द्वारा वसीयत शून्य घोषित नही होती तब तक उनके आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश निरस्त नही जा सकता है। यह कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपीलांट को वसीयत के विरूद्ध सक्षम

न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था। अपीलांट को अपीलधीन आदेश की जानकारी होने के बाद भी एक वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपील के संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है। अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष दावे के विचाराधीन होने के बावजूद तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दे दिया। इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को नही सुना। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया जावें।

प्रकरण में अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दस्तावेजों का अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.05.2016 के अनुसार अपीलांट राजेन्द्र द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी वारिसान को नोटिस दिया जाना भी पत्रावली पर स्पष्ट है। श्रीमती शकुंतला पत्नी वेदप्रकाश का नोटिस स्वयं अपीलांट द्वारा प्राप्त किया गया है तथा स्वयं राजेन्द्र को नोटिस तामिल होना पत्रावली पर साबित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कहा जाना कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन वसीयत, जिसको आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, के विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई विपरीत दस्तावेज प्रस्तुत नही किए और ना ही अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत किया जाना पाया जाता हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का कोई आधार पत्रावली पर नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2016 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/8/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर